

प्रस्ताव सं०- 42798/2022

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरपष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)</p>	<p>CCF, लखनऊ, गोरखपुर, CCF, मिर्जापुर, गोरखपुर, CCF, गोरखपुर, गोरखपुर; CCF, अजमेर, CCF, अजमेर, CCF, अजमेर.....की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।</p>
----	--	---

दिनांक:- 28/6/22

स्थान:- लखनऊ

हस्ताक्षर
Rupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
नाम U.P. Lucknow

सरकारी मोहर